न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 31/2014 (उदयपुर आर्डर)

श्री खेता पिता लखा जी डांगी निवासी नांदवेल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
जिला कलक्टर उदयपुर दि0 31–03–2014
प्रकरण संख्या 02/2014

––––/––––

उपस्थित :–1– श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

––––/––––

आदेश **दिनांक 01–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के यहां अपीलान्ट के विरूद्ध ग्राम नान्दवेल की आराजी नंबर 1116 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा किस्म चरागाह पर नाजायज कब्जा होने बाबत् प्रकरण संख्या 363/13 में कार्यवाही की जाकर दिनांक 21–10–2013 को बेदखली एवं शास्ती तथा फसल निलामी का आदेश पारित किया गया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर उदयपुर के यहां अपील संख्या 02/2014 पेश की गई, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31–3–2014 को प्रथम अपील खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा।

प्रथम अपील निर्णय दिनांक 31–3–2014 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 28–5–2014 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर की और से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट द्वारा लिये गये प्रमुख उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विवेक प्रयोग, साईक्लोस्टाईल आदेश पारित किया है तथा अपीलान्ट को जवाब पेश करने का अवसर भी नहीं दिया है तथा उसके दिनांक 1—1—2007 से पहले के कब्जे को भी नहीं माना है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों व रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि स्वीकृत रूप से चरागाह भूमि पर अपीलान्ट का नाजायज कब्जा है तथा उक्त कब्जे को नियमित करवाये जाने के लिए अपीलान्ट का दायित्व था, कि वह उक्त कब्जे को नियमन योग्य 1—1—1970 से पूर्व का होना बताते, परन्तु उनके द्वारा पुराना कब्जा होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चरागाह भूमि आवंटन/नियमन निजी प्रयोजनार्थ नहीं किये जाने के आज्ञापक निर्देश है। तद्नुसार भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण आवंटन/नियमन योग्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार सार्वजनिक प्रयोजन की चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण को बेदखल किये जाने, शास्ती आरोपित करने तथा फसल निलामी के आदेश को जारी करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायाल का आदेश दिनांक 31—3—2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 01—02—2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री लालू पिता भेराजी भील (गमेती) निवासी वारणी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0) बनाम **मु. गंगाबाई बेवा खेमा जी भील (गमेती) निवासी वारणी, हाल भारोड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)**

अपील नं0 **2/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत .... **उपखण्ड अधिकारी** .... **मावली** ... मुकाम मुर्क्खे.............**27**..........माह..............**11**........... **2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**16**..... माह ......**08**.......... सन् **2016** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री खेमराज डांगी.......... मिनजानिब अपीलान्ट व ....अनुपस्थित .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**16**...... माह ...**08**........ **2016** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।